23/10/13

संख्याः–पी–931 /अड़तीस–9–13–19पीएमजीएसवाई/13

प्रेषक,

बी0पी0 सिंह
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण,
लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग–9 लखनऊ दिनांक–23 अक्टूबर, 2013

विषयः प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत साख–सीमा से सम्बन्धित मार्ग–निर्देशों के सम्बन्ध में

महोदय,

कृपया उपर्युक्त अपने पत्र संख्या–1675/एफ–108/यू0पी0आर0आर0डी0ए0/2013, दिनांक–27.08.2013 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत साख–सीमा से सम्बन्धित मार्ग–निर्देश जारी किये जाने के सम्बन्ध में अभिकरण स्तर पर 05 सदस्यीय अधिकारियों की समिति द्वारा सी0सी0एल0 निर्गमन की प्रकिया के सम्बन्ध में पूर्ववर्ती वर्षों में जारी किये गये विभिन्न कार्यालयादेशों को संज्ञान में लेते हुये पी0एम0जी0एस0वाई0 योजनान्तर्गत सी0सी0एल0 निर्गमन की प्रकिया निर्धारित कराये जाने हेतु संस्तुति की गयी है।

2– इस सम्बन्ध में अभिकरण स्तर पर गठित 05 सदस्यीय समिति द्वारा की गयी संस्तुतियों तथा वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 21.02.2000 में निर्धारित व्यवस्थाओं आदि के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त निम्न दिशा निर्देश जारी किये जाने का निर्णय शासन द्वारा लिया गया है:–

1. सी0सी0एल0 निर्गमन योजनान्तर्गत गठित अनुबन्धों व स्टैण्डर्ड बिडिंग डाक्यूमेंट (एस0बी0डी0) में निहित त्रैमासिक लक्ष्यों के सापेक्ष सम्बन्धित प्रोजेक्ट इम्पलीमेंटेशन यूनिट (पीआईयू) की मांग के अनुक्रम में मासिक आधार पर किया जायेगा। मासिक आधार पर सी0सी0एल0 अवमुक्त करते समय यूपीआरआरडीए द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि अवमुक्त की गयी सी0सी0एल0 त्रैमासिक लक्ष्य से अधिक न हो।
2. सी0सी0एल0 का निर्गमन सम्बन्धित फर्म/ठेकेदार के पक्ष में किया जायेगा।
3. सी0सी0एल0 की मांग संलग्न प्रारूप पर पीआईयू द्वारा की जायेगी। ई–पेमेंट की दशा में मांग पत्र के प्रारूप में पैकेज संख्या, फर्म/ठेकेदार का नाम व उसका बैंक खाता संख्या अवश्य अंकित किया जाये।
4. सम्बन्धित परियोजना क्रियान्वयन इकाई के अधिशासी अभियन्ता/आहरण वितरण अधिकारी के अभिकरण में उपलब्ध हस्ताक्षर से ही सी0सी0एल0 की मांग की जायेगी।
5. सी0सी0एल0 निर्गमन हेतु प्रथम सी0सी0एल0 मांग के समय अनुबंधित कार्यों पर अनुबंध/एस.बी.डी. में निहित त्रैमासिक भौतिक तथा वित्तीय लक्ष्य सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता/आहरण वितरण अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

–2/

6. निर्गत सी0सी0एल0 के अन्तर्गत आहरण वितरण अधिकारी द्वारा काटे गये चेकों का भुगतान बैंक द्वारा अभिकरण से प्राप्त पैकेजवार/फर्मवार सी0सी0एल0 अवमुक्ति आदेश की सीमा के अन्तर्गत किया जायेगा। सम्बन्धित बैंक शाखा द्वारा प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी को विगत माह के सी0सी0एल0 के अवशेष से सूचित किया जायेगा।
7. पी0आई0यू0 द्वारा सी0सी0एल0 को मांग करते समय इस आशय का प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराया जायेगा कि सभी अपेक्षित प्रविष्टियॉ ओमास पर अंकित कर दी गयी है तथा कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति लगभग समानुपातिक है।
8. पी0आई0यू0 द्वारा मांग के साथ इस आशय का प्रमाण–पत्र भी उपलब्ध कराया जायेगा कि भुगतान से पूर्व देयकों से सम्बन्धित समस्त विवरण व अनुबन्ध संख्या का अंकन मापन पुस्तिका में कर लिया गया है तथा उक्त अभिलेखों को सम्प्रेक्षा के दौरान उपलब्ध करा दिया जायेगा।
9. एन0क्यू0एम0/एस0क्यू0एन0 के निरीक्षणों से सम्बन्धित रिपोर्ट में यदि गैर तकनीकी प्रकृति की कमियां इंगित की जाती है तो उनकी ए0टी0आर के प्राप्त न होने के कारण सी0सी0एल0 की अवमुक्ति न रोकी जाये परन्तु सम्बन्धित पी0आई0यू0 को सी0सी0एल0 अवमुक्ति आदेश के साथ निर्देशित कर दिया जाये कि सम्बन्धित पैकेज पर भुगतान उक्त कमियों का निराकरण कराने के पश्चात ही किया जाय, किन्तु एन0क्यू0एम0/एस0क्यू0एम0 के निरीक्षणों में यदि गम्भीर तकनीकी प्रकृति की कमियॉ इंगित की गयी है तो उक्त कमियों का निराकरण कराने के उपरान्त ही सी0सी0एल0 अवमुक्त की जाये।
10. वित्तीय अनुशासन एवं प्रबंधन के दृष्टिकोण से अनुबंधित कार्य के सापेक्ष निर्गत विगत सी0सी0एल0 का मासांत के उपरान्त अगले माह के प्रथम सप्ताह में रिकन्सीलियेशन किया जाये एवं अगली सी0सी0एल0 का निर्गमन तभी किया जाये जब विगत सी0सी0एल0 का रिकन्सीलियेशन हो जाये।
11. भुगतान की कार्यवाही यथासम्भव भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार "ई–पेमेंट" के माध्यम से किये जाने को प्राथमिकता दी जाय औ चेक से भुगतान की प्रणाली को हतोत्साहित किया जाये।
12. Scanned Digital signature जैसी व्यवस्था अस्तित्व में न होने के कारण ई–पेमेंट सीधे बिना Digital signature के EFT/NEFT के माध्यम से किया जा सकता है, उक्त के सम्बन्ध में अभिकरण द्वारा सम्बन्धित बैंक से जानकारी प्राप्त कर सुविधानुसार व्यवस्था निर्धारित की जायेगी।
13. समस्त कार्यदायी संस्थाओं का यह दायित्व होगा कि वे प्रत्येक माह के व्यय की समीक्षा करें और यह भी सुनिश्चित करें कि प्रत्येक मास में जारी सी0सी0एल0 क व्यय यथासम्भव समानुपातिक रूप से हो।
14. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के क्रियान्वयन हेत भारत सरकार द्वारा जार आपरेशन्स मैनुअल के प्रस्तर–13.1.4 के प्राविधानों के अन्तर्गत सी0सी0एल0 निर्गम हेतु वित्त नियंत्रक यूपीआरआरडीए एम्पावर्ड अधिकारी होंगे तथा उनके स्तर सी0सी0एल0 निर्गमन हेतु समस्त आवश्यक औपचारिकताओं का पूर्ण होना सुनिश्चि कराया जायेगा।

--3

15. अभिकरण द्वारा सी0सी0एल0 का नेर्गमन मात्र पीआईयूज को धनराशि व्यय हेतु अधिकृत किया जाना है तथा यह भुगतान आदेश नहीं है। किसी कार्य पर भुगतान से पूर्व पीआईयू द्वारा भुगतान सम्बन्धी समस्त शासनादेशों, योजना के दिशा–निर्देशों, वित्तीय नियमों तथा बैंकिंग नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3– उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्त दिशा–निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

4– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–ए–2–148/दस–2013, दिनांक–23 अक्टूबर, 2013 द्वारा प्राप्त सहमति के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(बी0पी0 सिंह)
अनु सचिव।

संख्या–पी–931 (1)/अड़तीस–9–2013, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली।
2. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग/लोक निर्माण/ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग उ0प्र0 शासन।
3. स्टाफ ऑफीसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 लखनऊ।
4. प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग उ0प्र0 लखनऊ।
5. निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग उ0प्र0 लखनऊ।
6. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(बी0पी0 सिंह)
अनु सचिव।